

भारत का राजपत्र
The Gazette of India.

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० १४९] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर ८, १९७०/भाद्र १७, १८९२

No. 149] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 8, 1970/BHADRA 17, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICES

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 8th September 1970

SUBJECT.—*Import of Capital goods (Balancing Equipment) against the U.K. Kipping Loan.*

No. 134-ITC(PN)/70.—The U.K. Government have made available, as part of the assistance for Indian Economic development, a loan of £1.0 Million (Rs. 1.80 crores), to meet the requirements of U.K. oriented firms for balancing equipment.

2. It has been decided that these funds may be used for issue of licences to Actual Users in both the scheduled and non-scheduled sectors including small scale industries with equipment of British origin, for import of minor balancing equipment needed by them to maximise utilisation of equipment already in use. The amount available for the purpose being small as against the demand from entrepreneurs, it has been decided to consider applications only in these cases where :—

- (i) The equipment in use is mainly of British origin; and
- (ii) The value of the equipment sought to be imported is small in relation to the equipment already in use and does not exceed £25,000 c.i.f. value.

Applications from eligible importers should be supported by information as per proforma given in the Appendix to this Public Notice. In case, the application is not supported by the Appendix or incomplete faulty information is given in the Appendix, the application will be summarily rejected. It may be particularly noted that only one application should be submitted by each eligible importer. ~~More~~ than one application submitted by an importer will not be considered.

3. The terms and conditions which will be applicable to the licences to be issued against this loan are given in the Public Notice No. 50-ITC(PN)/70, dated the 4th April, 1970.

4. Applications from eligible actual users for the imports of minor balancing equipments in terms of this Public Notice may be submitted in the prescribed form and manner (Form—E) to the Chief Controller of Imports & Exports, New Delhi (Special Cell) by the 15th October, 1970.

APPENDIX

1. Name and complete address of the applicant.
 - (a) Factory.
 - (b) Registered Office.
2. Nature of the concern, whether proprietary/partnership/Private Limited/Public Limited.
3. Name of the Proprietors/Partners/Directors.
4. Whether borne on the list of DGTD/DG (SSI)/Iron & Steel Controller etc. (Quote Registration No. and date).
5. Whether the application is a small scale unit and if so, whether it will continue to remain so, after the proposed import:—
 - (a) Present total assets.
 - (b) Total assets after import of equipment applied for.
 - (c) Present value of Plant & Machinery.
 - (d) Value of Plant & Machinery after the import of equipment asked for.
6. Industry to which the application relates.
7. Description of equipment applied for. If possible, this may be furnished in the form of an annexure indicating the items to be imported and their respective c.i.f. value.
8. (a) Details of import licences granted to the applicant during the last 12 months i.e. value of equipment source of financing, whether imports effected etc.
- (b) Details of other applications separately made for import of Capital goods, which are still pending.
9. Value of the present application.
10. Value of British Collaboration Technical or Financial. In case of financial collaboration, percentage of British Capital participation may be given.
11. Value of British Machinery currently in use.
12. Value of total machinery installed in the factory.
13. Whether applicant holds an Industries (D&R) Act Licence.
 - (a) The items of manufacture for which the applicant holds Industrial Licences.
 - (b) The licensed capacity and the installed capacity.
 - (c) Actual production in 1969.
 - (d) Likely increase in the capacity after the import of the equipment asked for.

विशेष व्यापार संचालय

सार्वजनिक सूचनाएं

आयात व्यापार नियन्त्रण

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 1970

विषय:—रू० के० किपिंग लोन के लिए पूंजीगत माल (शेष उपस्कर) का आयात ।

सं० 134-आई० टी० सी० (पी० एन०)/70.—रू० के० सरकार ने शेष उपस्कर के लिए अभिविन्यस्त व्यवसाय संघों को जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत के आर्थिक विकास के लिए सहायता के रूप में 1.0 मिलियन पाउंड (1.80 करोड़ रुपये) का ऋण उपलब्ध कराया है ।

2. यह निश्चय किया गया है कि अनुसूची और गैर-अनुसूची वाले दोनों ही प्रकार के वास्तविक उपभोक्ताओं के लिए जिसमें ब्रिटिश मूल के उपस्कर के साथ लघु रैमने उद्योग भी शामिल हैं, पहले से ही उपयोग में लाए गए उपस्कर के उपयोग को उच्चतम सीमा को बढ़ाने के लिए उनके द्वारा जरूरत समझे जाने पर, छोटे शेष उपस्कर के आयात के लिए लाइसेंस जारी करने के लिए इन राशियों का उपयोग किया जा सकता है । बूँक उद्यमकर्तियों की तरफ से मांग अधिक है और धन-राशि इस कार्य के लिए कम है इसलिए केवल उन्हीं प्रार्थना पत्रों पर विचार करने का निश्चय किया गया है जो :

(i) जिस उपस्कर का व्यवहार किया जाता है वह ब्रिटिश मूल का है; और

(ii) जिस उपस्कर का व्यवहार किया जा रहा है उसका मूल्य पहले से ही व्यवहार में आने वाले उपस्कर से कम है और सी० आई० टी० सी० एन० मूल्य 25000 पाउंड से अधिक नहीं है ।

उपयुक्त आयातकों द्वारा भेजे गए आवेदन-पत्र इस सार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट में दिए गए प्रति प्रपत्र के अनुसार सूचना से समर्थित होने चाहिए । यदि आवेदन-पत्र परिशिष्ट द्वारा समर्थित नहीं हैं या अज्ञात है परिशिष्ट में गलत सूचना दी गई है, तो ऐसी स्थिति में आवेदन-पत्र को सरसरी, तौर पर अस्वीकृत कर दिया जाएगा । इसे विशेष रूप से जान लेना चाहिए कि प्रत्येक उपयुक्त आयातक द्वारा केवल एक ही आवेदन पत्र भेजा जाना चाहिए । एक से अधिक भेजे गए आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा ।

3. इस लाइसेंस के साथ लागू होने वाले नियम और शर्तें जो इस ऋण के लिए जारी की जाने वाली हैं, वे सार्वजनिक सूचना संख्या 50 (आई० टी० सी० पी० एन०)/70, दिनांक 4 अप्रैल, 1970 में दी गई हैं ।

4. इस सार्वजनिक सूचना की शर्तों के अनुसार थोड़े शेष उपस्कर के आयात के लिए उपयुक्त वास्तविक उपभोक्ताओं द्वारा भेजे जाने वाले आवेदन-पत्र निर्धारित रूप में और विधियों के साथ (फार्म ई) मुख्य निर्यातक, आयात-निर्यात, नई दिल्ली (विशेष सेल) को 15 अक्टूबर, 1970 तक भेजा जा सकता है ।

परिशिष्ट

1—आवेदक का नाम और पूरा पता :

(क) फैक्ट्री।

(ख) पंजीकृत कार्यालय।

2— वह किस प्रकार का है : स्वाभ्य/भागीवारी/निजी परिसीमित/सार्वजनिक परिसीमित।

3— स्वामियों/भागीदारों/संचालकों का नाम।

4— क्या डी० जी० टी० डी०/डी० सी० (एस० एस० आई०)/लोहा और इस्पात नियंत्रक आदि की सूची में हैं :

(पंजीयन संख्या और तारीख दीजिए)

5—क्या आवेदक लघु पैमाने एकक का है और यदि हां, तो क्या प्रस्तावित आयात करने के बाद ऐसा ही उसे बनाए रखेगा।

(क) वर्तमान कुल परिसम्पत्ति

(ख) लागू होने वाले उपस्कर के आयात करने के बाद कुल परिसम्पत्ति।

(ग) प्लान्ट और मशीनों का वर्तमान मूल्य।

(घ) मांग किए गए उपस्कर आयात के बाद प्लान्ट और मशीनरी का मूल्य।

6—जित उद्योग से आवेदन-पत्र सम्बन्ध रखता है।

7—जिस उपस्कर के लिए आवेदन किया गया है उसका विवरण यदि सम्भव हो, तो इसे आयात की जाने वाली मदों को दिखाने वाली अनुबन्ध के रूप में भेजा जाय और जमना: उनका सी० आई० ई० एफ० मूल्य भी।

8—(क) गत 12 महीनों के दौरान आवेदक को प्रदान किए गए आयात लाइसेंसों का विवरण अर्थात् उपस्कर का मूल्य, अर्थयुक्त बनाने के साधन, जहां तक आयात को प्रभावित किया आदि।

(ख) उन अन्य आवेदन-पत्रों का विवरण जो पूंजीगत माल के लिए अलग से दिए गए थे, जो अभी विचाराधीन हैं।

9— वर्तमान आवेदन-पत्र का मूल्य।

10— वर्तमान प्रयोग में आने वाली ब्रिटिश मशीनों का मूल्य।

11— फैक्ट्री में लगाई गई मशीनों का कुल मूल्य।

12—क्या उनमें से कोई ब्रिटिश सहयोग तबनी की या अर्थयुक्त वाली है? अर्थयुक्त सहयोग वाले होने की स्थिति में ब्रिटिश पूंजी सहयोग का प्रतिशत दिया जाए।

13—क्या आवेदक के पास उद्योग (डी एंड आर) अधिनियम लाइसेंस है :

(क) आवेदक के पास जो औद्योगिक लाइसेंस है, उसके लिए निर्माण की जाने वाली मदे।

(ख) लाइसेंस द्वारा दिया गया सामर्थ्य और लगाई गई मशीन की समर्थता।

(ग) 1969 का वास्तविक उत्पादन।

(घ) मांग किए गए उपस्कर के आयात के बाद क्षमता में वृद्धि की सम्भावना।

SUBJECT.—*Issue of import licences to Established Importers against the U.K. Kipping Loan.*

No. 135-ITC(PN)/70.—The U.K. Government have made available, as part of the assistance for Indian economic development a loan of £1 Million (Rs. 1.80 crores) to meet the requirements of U.K. oriented firms, for import of spare parts required for servicing U.K. equipment in the country.

2. It has been decided that this loan may be used for issuing licences for import of spares to the representatives of British manufacturers of machinery and equipment, who have been receiving import licences as established importers or under earlier Kipping Loans, to import spare parts needed for servicing and maintaining the equipment supplied by their principals. Licences will also be issued to Established Importers for import of spares for printing machinery and mining machinery manufactured in the U.K.

3. As the amount available for the purpose is relatively small, preference will be given to importers of spare parts who have commitments to service existing equipment of British origin. Applications from eligible importers should be supported by information as per proforma given in the Appendix, to this Public Notice. In case, the application is not supported by the Appendix or incomplete/faulty information is given in the Appendix the application will be summarily rejected. It may be particularly noted that only one application should be submitted by each eligible importer. If more than one application is submitted by an importer only the first application will be considered.

4. The terms and conditions which will be applicable to the licences to be issued against this loan are given in the Public Notice No. 50-ITC(PN)/70, dated the 4th April, 1970.

5. Application may be submitted in the prescribed form and manner to the Chief Controller of Imports & Exports, New Delhi (Special Cell) by the 15th October, 1970.

APPENDIX

PROFORMA

1. Name of the firm.
2. Whether the importer has any British Collaboration—Technical or Financial.
 - (a) In case the importer has financial collaboration the percentage of British Capital participation may be given.
3. Details of quota certificates held by the importer may be given as follows :—

Certificate No.	Date	Quota items	Value Rs./lakh
-----------------	------	-------------	----------------

- (i)
- (ii)
- (iii)

(a) Total value (in Rs.) of all the quota certificates held by the importers.

4. Value of actual imports as established importer from the U.K. during 1966-67, 1967-68 and 1968-69 may be given as follows :—

Category of imports.	1966-67	1967-68]	1968-69.
----------------------	---------	----------	----------

(Value in Indian Rupees)

- (a) Imports against Quota licence.
- (b) Imports against earlier Kipping Licences in the capacity of Established Importer.
- (c) *Ad-hoc* licences issued to manufacturers for import of stock and sale spare parts.

TOTAL

NOTE :—Separate figures must be given for each category of imports. The import figures should be certified by the Auditors.

- 5 Name of the British Manufacturer(s) whom, where possible, the Indian Importer is representing and the approximate value of each equipment in use in India.

Signature : _____

for and on behalf of: _____

विषय.—यू० के० किपिंग लोन के लिए संस्थापित आयातकों को आयात लाइसेंस जारी किया जाना।

सं० 135-आई० टी० सी० (पी० एन०)/70.—यू० के० सरकार ने हमारे देश में यू० के० उपस्कर को काम में लाने के लिए अपेक्षित फालतू पुर्जों के आयात के लिए अभिविद्यस्त ध्वसाय संघों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत के आर्थिक विकास के लिए सहायता के रूप में 1.0 मिलियन पाउंड (1.80 करोड़ रुपये) का ऋण उपलब्ध कराया है।

2. यह निश्चय किया गया है कि इस ऋण का उपयोग मशीन तथा उपस्कर के ब्रिटिश निर्माता कर्ता के उन प्रतिनिधियों के लिए किया जाएगा जो संस्थापित आयातकों के रूप में या पूर्व किपिंग लोन के अन्तर्गत उनकी पूंजी द्वारा दिए गए उपस्कर को काम में लाने और उन्हें चालू रखने के लिए आवश्यकता होने पर फालतू पुर्जों के आयात के लिए लाइसेंस प्राप्त करते आ रहे हैं; मुद्रण मशीनें तथा खनन मशीनें जो यू० के० में बनाई गई हैं उनके लिए काम आने वाले फालतू पुर्जों के आयात लाइसेंस भी संस्थापित आयातकों को दिए जाएंगे।

3. चूंकि इस कार्य के लिए उपलब्ध-धन राशि अपेक्षा कृत कम है इसलिए उन आयातकों को बरीयता दी जाएगी जो ब्रिटिश मूल के वर्तमान उपस्कर को सुचारु रूप में चलाने के लिए फालतू पुर्जों के आयात के लिए बचनबद्ध हो चुके हैं। उपयुक्त आयातकों द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र प्रस्तुत सार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट में दिए गए प्रति प्रपत्र के अनुसार सूचना से समर्थित होने चाहिए यदि आवेदन-पत्र परिशिष्ट द्वारा समर्थित नहीं है या अधूरा है परिशिष्ट में गलत सूचना दी गई है तो ऐसी स्थिति में आवेदन-पत्र को सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिया जाएगा। इसे विशेष रूप से जान लेना चाहिए कि प्रत्येक उपयुक्त आयातक द्वारा केवल एक आवेदन पत्र भेजा जाना चाहिए। आयातक द्वारा एक से अधिक भेजे गये आवेदन पत्रों की स्थिति में केवल पहले पर विचार किया जायेगा।

4. इस ऋण के विपरीत लाइसेंसों के लिए जो लागू नियम तथा शर्तें जारी की जाएंगी वे सार्वजनिक सूचना सं० 50-आई० टी० सी० (पी० एन०)/70 दिनांक 4 अप्रैल, 1970 में दी गई हैं।

5. निर्धारित रूप में और विधि के साथ आवेदन-पत्र, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात नई दिल्ली (विशेष सेल) को 15 अक्टूबर 1970 तक दिए जा सकते हैं।

हस्ताक्षरित

परिशिष्ट

प्रपत्र

1. उद्योग संघ का नाम
2. क्या आयातक के पास कोई ब्रिटिश सहयोग-तकनीकी या अर्थयुक्त वाला है ?
3. (क) यदि आयातक अर्थयुक्त सहयोग वाला है, तो ब्रिटिश पूंजी सहयोग का प्रतिफल दिया जाये
3. आयातक द्वारा रख गए कोटा प्रमाण-पत्रों के विवरण निम्नलिखित रूप में दिए जा सकते हैं :—

प्रमाण-पत्र की संख्या दिनांक कोटा की मात्रा मूल्य लाख में

(1)

(2)

(3)

(क) आयातकों द्वारा रखे गए सभी कोटा प्रमाण-पत्रों का कुल मूल्य (रुपये में)

4. 1966-67, 1967-68 और 1968-69 के दौरान यू० के० से आयात करने वाले के रूप में संस्थापित वास्तविक आयातों का मूल्य निम्नलिखित के अनुसार दिया जा सकता है :—

आयातों की श्रेणी

1966-67 1967-68 1968-69

(भारतीय रुपये में मूल्य)

- (1) कोटा लाइसेंस के विपरीत आयात
- (2) संस्थापित आयातकों के रूप में पूर्व किफ़िंग लाइसेंसों के विपरीत आयात
- (3) 'संचयन और बित्री' फालतू पुर्जों के आयात के लिए निर्माणकृतियों को जारी किए गए तदर्थ लाइसेंस।

कुल :

टिप्पणी : आयातकों की प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग अलग आंकड़े भवश्यक दिए जाने चाहिए।

आयात-आंकड़े लेखा परीक्षाओं द्वारा सत्यापित होने चाहिए।

5. जहां सम्भव हो, उन ब्रिटिश निर्माण-कार्य का नाम दें, जिसका भारतीय आयातक प्रतिनिधित्व करते हैं और भारत में सहयोग किए जाने वाले प्रत्येक उपस्कर का अनुमानित मूल्य दें।

हस्ताक्षर

वास्ते और के बदले

SUBJECT :—*Import Policy for the year April 1970—March 1971.*

No. 136—ITC(PN)/70—Attention of importers is invited to the import policy as contained in the Import Trade Control Policy (Red Book-Vol. I) for the period April 1970—March 1971.

2. The following amendments shall be made at appropriate places in Vol. I of Red Book for the period April 1970—March 1971 :—

Page No. of the Red Book (Vol. I)	Reference	Details of amendments
20	Section I, Paragraph 100	The following sentence may be deemed to have been added at the end of this paragraph : "The actual users applying for import of spare parts of tractors should also furnish the following information in their applications in respect of the tractors for the maintenance of which spare parts are applied for :— (i) Model/Make of tractor. (ii) Year of purchase of tractor. (iii) Horse Power. (iv) Original c.i.f. prices of the tractor."
33	Section II, S No. 43-B/I, Column 4.	The existing remark may be deemed to have been substituted by the following remark :— "A.U. for import of antimony load for manufacture of storage batteries."
35	Section II, S. No. 46-A/I, Column 4.	The existing remark may be deemed to have been substituted by the following remark :— "A.U. for import of antimony for manufacture of storage batteries."
45	Section II, S. No. 25(d)/II, Column 4, remark (i).	The following words may be deemed to have been added at the end of remark :— "as per ISI specifications."
46	Section II, S. No. 29/II, Column 4.	The existing remark may be deemed to have been substituted by the following remark :— "A.U. applications for spare parts will be considered in consultation with the D.G.T.D."
81	Section II, S. No. 40(b)/V, Column 2.	For the existing description 'Sodium Nitrate (Chilean Nitrate)', Read 'Sodium Nitrate'
97	Section II, S. No. 78(ix)/V, Column 4, remark (i).	The following new item may be deemed to have been inserted — "(c) Glass electrodes for manufacture of neon signs."
108	Section II, S. No. 122(i)/V, Column 4, remark (5).	The existing remark may be deemed to have been substituted by the following remark :— "A.U. for import of Polyvinyl butyral resins sheets for manufacture of safety glass."
109	Section II, S. No. 122(xx)/V, Column 4, remark (1).	Release orders for polypropylene will be issued for 20% of the actual users' entitlement for raw materials.
117	Section III, Part A, S. No. 40(b)/V, Column 2.	For the existing description 'Sodium Nitrate (Chilean Nitrate)', Read 'Sodium Nitrate'.

Page No. of the Red Book (Vol. I)	Reference	Details of amendments				
122	Section IV, S. No. 30 (f) (iii)/ II, Column 4.	The following new remark (5) may be deemed to have been inserted :— “(5) Import of items mentioned in List I of Appendix 26 other than those included in Appendix 4-A will not be allowed.”				
122	Section IV, S. No. 31(b)/II, Column 4.	The following new remark (3) may be deemed to have been inserted :— “(3) Import of items mentioned in List I of Appendix 26 other than those included in Appendix 4-B will not be allowed.”				
143—144	Section IV, S. No. 92(c)V, Column 4, Remark (2)	The existing remark (2) may be deemed to have been substituted by the following remark :— “(2) Quota licences will not be valid for the import of spare parts of the following categories of machines :— (i) Beam Scales and Weigh Master Beams. (ii) Counter Scales. (iii) Steel Yard Platform Scales. (iv) Steel Yard Portable Scales. (v) Transportable Platform Scales. (vi) Steel Yard Cart Weigh Bridges and Dormant Weighers.”				
266	Section V, Appendix 16 Item No. 7(c)	The existing description of the item may be deemed to have been substituted by the following :— “Soft and absorbant tissue paper below 18 (eighteen) gm. in substance.”				
267	Section V, Appendix 19, Annexure 2	The following item appearing at S. No. 27 may be deemed to have been deleted :— <table border="0"> <tr> <td><i>English name of the crude drug.</i></td> <td><i>Ayurvedic and Unani name of the crude drug.</i></td> </tr> <tr> <td>Viola Odorata Linn.</td> <td>Banafsha.</td> </tr> </table>	<i>English name of the crude drug.</i>	<i>Ayurvedic and Unani name of the crude drug.</i>	Viola Odorata Linn.	Banafsha.
<i>English name of the crude drug.</i>	<i>Ayurvedic and Unani name of the crude drug.</i>					
Viola Odorata Linn.	Banafsha.					
268	Section V, Appendix 19, Annexure 3(A), Item No. 31.	The existing description of this item may be deemed to have been substituted by the following :— “p-Dimethylamino-benzaldehyde (Ehrlich reagent)				
300	Section V, Appendix 24, Paragraph 6, remark 3, item No. 10—Vat Orange RF.	For the existing Colour Index No. ‘73355’ Read ‘73335’				
336	Section V, Appendix 8, List VI.	The existing heading may be deemed to have been substituted by the following :— “List of pesticides which will be allowed for import by actual users. Other pesticides except those included in List III of this Appendix will be allowed for import by actual users in consultation with DGTD and Plant Protection Adviser.”				
363	Section V, Appendix 34, Part II, List B.	The following items may be deemed to have been included in this list :— “1. High Pressure/High Temperature Wool/Synthetic Top Dyeing machine. 2. Wool/Synthetic Top Dyeing machine.”				

Page No. of the Red Book (Vol. I)	Reference	Details of amendments
363—364	Section V, Appendix 34, Part II, List C	The following items occurring at S. Nos. 9 and 23 may be deemed to have been deleted :— “1. High Pressure/High Temperature Wool/ Synthetic Top Dyeing machine. 2. Wool/Synthetic Top dyeing machine.”
424	Section V, Appendix 41, paragraph 23.	The following sentence may be deemed to have been added at the end of this paragraph :— “This will not apply to small scale units.”
429	Section V, Appendix 41, Schedule ‘B’.	The following sentence may be deemed to have been added at the end of existing note :— “Such billets/wire-rods received by the wire-rods producers/wire drawing units for processing into wire-rods/wires shall not be taken into account for determining consumption of raw materials for wire-rods producers/wire-drawing units for fixation of import entitlement for them.”
431	Section V, Appendix 41, Schedule ‘C’, Item No. 7, Column 3, Remark (b), line 1.	For the existing word ‘excluding’, <i>Read</i> ‘exceeding’.
435	Section V, Appendix 41, Schedule ‘D’, item No. 8, column 2.	The existing description may be deemed to have been substituted by the following :— “Cold Rolled Steel Strips [not mentioned at Serial Nos. 1 to 7 above, having max. width upto 350 mm excluding stainless steel strips.”

बिषय :—अप्रैल, 1970-मार्च, 1971 वर्ष के लिए आयात नीति ।

सं० 136-आई० टी० सी० (पी० एन०)/70.—आयातकों का ध्यान अप्रैल, 1970-मार्च, 1971 के लिए आयात व्यापार नियन्त्रण नीति (रेड बुक-वालुम-1) में निहित आयात नीति की ओर आकृष्ट किया जाता है ।

अप्रैल, 1970-मार्च, 1971 की अवधि के लिए रेडबुक के वालुम-1 में निम्नलिखित संशोधन उपयुक्त स्थलों में किए जाएंगे :—

रेड बुक (वालुम-1) की पृष्ठ संख्या	संदर्भ	संशोधन का व्यौरा
1	2	3
20	खंड 1, कंडिका 100	इस कंडिका के अन्त में निम्नलिखित वाक्य जोड़ा गया है, समझा जाये । “वास्तविक उपभोक्ता जो ट्रैक्टर के फालतू पुर्जों के आयात के लिए आवेदन करते हैं, ट्रैक्टर के अनुरक्षण के लिए जिन फालतू पुर्जों के लिए आवेदन किया गया है उस के संबंध में उन्हें

1	2	3
		आहिए कि अपने आवेदन-पत्र में निम्नलिखित जानकारी भी भेजें :— (1) ट्रैक्टर का माडल मेक । (2) ट्रैक्टर के खरीदने का वर्ष । (3) अवशक्ति । (4) ट्रैक्टर की मूल लागत—बीमा-भाड़ा कीमत ।
33	खंड 2, क्रम सं० 43— बी/1 कालम 4	वर्तमान टिप्पणी निम्नलिखित टिप्पणी द्वारा बदली गई समझी जाए :— “संचालक बैटरी के निर्माण के लिए वास्तविक उपभोक्ता के लिए एंटीमोनी का आयात ।”
35	खंड 2—क्रम सं० 47—ए-1, कालम 4	वर्तमान टिप्पणी निम्नलिखित टिप्पणी द्वारा बदली गई समझी जाए :— “संचालक बैटरी के निर्माण के लिए वास्तविक उपभोक्ता के लिए एंटीमोनी का आयात ।”
45	खंड-2, क्रम सं० 25 (डी)/2, कालम-4 टिप्पणी (1)	निम्नलिखित शब्दों को टिप्पणी के अन्त में जोड़ा गया समझा जाए :— “आइ० एस० आई० के विशिष्ट विवरण के अनुसार ।”
46	खंड-2, क्रम सं० 29/2, कालम-4	वर्तमान टिप्पणी निम्नलिखित टिप्पणी द्वारा बदली गयी समझी जाए :— “डी० जी० टी० डी० के साथ परामर्श करके पालतू पुर्जों के लिए वास्तविक उपभोक्ता के आवेदन पत्रों पर विचार किया जाएगा ।”
81	खंड 2, क्रम सं० 40 (बी)/5, कालम-2	वर्तमान विवरण “सोडियम नाइट्रेट (घिलीन नाइट्रेट)” को “सोडियम नाइट्रेट” पढ़ें ।
97	खंड 2, क्रम सं० 78 (9)/5, कालम-4, टिप्पणी (1)	निम्नलिखित नयी मद को शामिल किया गया समझा जाए :— “(सी)—नियान साइनों के निर्माण के लिए कांच विद्युत् ।”

1	2	3
108	खंड 2, क्रम सं० 122 (1) 5, कालम 4, टिप्पणी (5)	वर्तमान टिप्पणी निम्नलिखित टिप्पणी द्वारा बदली गयी समझी जाए :— “सेफटी ग्लास के निर्माण के लिए पोलिविनल बुटिरल रेजिंस शीट्स के आयात के लिए वास्तविक उपभोक्ता ।”
109	खंड 2, क्रम सं० 122 ¹ (25)/5, कालम 4, टिप्पणी (1)	कच्चे माल के लिए वास्तविक उपभोक्ता की हकदारी के 20 प्रतिशत के लिए पोलिशोफिलिन के लिए बंटन आदेश जारी किए जाएंगे ।
117	खंड 3, भाग ए क्रम सं० 40(बी)/4, कालम 2	वर्तमान विवरण “सोडियम नाइट्रेट (चिलीन नाइट्रेट)” को “सोडियम नाइट्रेट” पढ़ें ।
122	खंड 4, क्रम सं० 30(एफ) (3)/2 कालम 4	निम्नलिखित नयी टिप्पणी (5) को शामिल किया गया समझा जाए :— “(5) परिशिष्ट 26 की सूची 1 में उल्लिखित मदें जो परिशिष्ट 4-ए में शामिल मदों से भिन्न हैं, आयात की स्वीकृति नहीं दी जाएगी ।”
122	खंड 4, क्रम सं० 31 (बी)/2, कालम 4	निम्नलिखित नयी टिप्पणी (3) को जोड़ा गया समझा जाए :— “(3) परिशिष्ट 26 की सूची 1 में उल्लिखित मदें जो परिशिष्ट 4-बी में शामिल मदों से भिन्न हैं, आयात की स्वीकृति नहीं दी जाएगी ।”
143-144	खंड 4, क्रम सं० 92 (सी)/5 कालम 4, टिप्पणी (2)	वर्तमान टिप्पणी (2) निम्नलिखित टिप्पणी द्वारा बदली गयी समझी जाए :— “(2) निम्नलिखित श्रेणी की मशीनों के फालतू पुर्जों के आयात के लिए कोटा लाखों से बंध नहीं होंगे । (1) बीम स्केल तथा तोलने वाले मास्टर बीम । (2) काउन्टर स्केल । (3) इस्पात या रॉड बैंच प्लेटफार्म स्केल । (4) इस्पात या रॉड सुबाह्य स्केल ।

1	2	3
		(5) परिवहनीय प्लेटफार्म स्केल ।
		(6) इस्पात यार्ड कार्ट व्हील्स त्रिजेस तथा डोरमेन्ट वेयरस । ”
226	खंड 5, परिशिष्ट 16, मद सं० 7(सी)	वर्तमान मद के विवरण को निम्नलिखित द्वारा बदला गया समझा जाए :— “नर्म तथा अवशोषक टिस्सु पेपर जो द्रव्य में 18 (अट्टाग्रह) जी० एस० एम० से कम है ।”
267	खंड 5, परिशिष्ट 19 अनुबन्ध 2	क्रम सं० 27 पर दिखाई गई निम्नलिखित मद हटाई गई समझी जाए :— अपरिष्कृत औषध का ग्रंप्रेजी नाम वियोला आडोरला लिन्न अपरिष्कृत औषध का आयुर्वेदिक तथा यूनानी नाम बनफशा
268	खंड 5, परिशिष्ट 19, अनुबन्ध 3(ए) मद सं० 31	प्रस्तुत मद का वर्तमान विवरण निम्नलिखित द्वारा बदला गया समझा जाए :— “पी-डाइमैथिलीमिनोबेंजेलाल्डिहाइड (डरलर रिजेन्ट) ”।
300	खंड 5, परिशिष्ट 24, कंडिका 6, टिप्पणी 3, मद सं० 10-बेट आरेज्य आर एफ	वर्तमान रंग सूचक सं० 73355 को 73335 पढ़े ।
336	खंड 5, परिशिष्ट 28, सूची 6	वर्तमान शीर्षक निम्नलिखित द्वारा बदला गया समझा जाए :— कीटनाशक की सूची जो वास्तविक उपभोक्ता द्वारा आयात के लिए स्वीकृत होगी । प्रस्तुत परिशिष्ट की सूची 3 में शामिल कीटनाशक को छोड़ कर अन्य कीटनाशक के लिए डी० जी० टी० डी० तथा बनस्पति रक्षण सलाहकार से परामर्श लेने पर वास्तविक उपभोक्ता द्वारा आयात के लिए स्वीकृति दी जाएगी ।

1	2	3
363	खंड 5, परिशिष्ट 34, भाग-2 सूची बी	प्रस्तुत सूची में निम्नलिखित मर्चे सम्मिलित की गई समझी जाए :— “1. उच्च दाबीय/उच्च तापीय उन/सिन्थेटिक टाप डाइंग मशीन । 2. उन / सिन्थेटिक टाप डाइंग मशीन ।”
363-364	खंड-पांच, परिशिष्ट 34, भाग-दो, सूची-जी,	निम्नलिखित मर्चे जो क्रम संख्या 9 और 23 में हैं, हटाई गई समझी जाए :— “1. उच्चदाबीय/उच्च तापीय उन/ सिन्थेटिक टाप डाइंग मशीन । 2. उन/सिन्थेटिक टाप डाइंग मशीन ।”
424	खंड-पांच परिशिष्ट-41, कंडिका-23	प्रस्तुत कंडिका के अन्त में निम्नलिखित वाक्य को जोड़ा गया समझा जाए :— “यह लक्ष्मीमाने एक्कों के लिए लागू नहीं होगा ।”
429	खंड-पांच, परिशिष्ट-41, सूचक “बी”	निम्नलिखित वाक्य को इस नोट के अन्त में जोड़ा गया समझा जाए :— “इस प्रकार के बिलेट/तार राइ जो तार राइ/तारों में संसाधन के लिए तार राइ उत्पादकों/तार प्राप्त करने वाले एक्कों द्वारा प्राप्त किए गए हैं, उसे तार राइ उत्पादकों/तार प्राप्त करने वाले एक्कों के लिए उनकी जो हकदारी है उसके आयात के नियतन के लिए कच्चे माल के उपभोग का निश्चय करने के लिए विचार नहीं किया जाएगा ।
431	खंड 5, परिशिष्ट 41 अनुसूची ‘सी’ मर्च सं० 7, कालम 3, टिप्पणी (बी)/पंक्ति 1	वर्तमान शब्द “एक्सक्लूडिंग” के लिए “एक्सीडिंग” पढ़ें ।
435	खंड 5 परिशिष्ट 41, अनुसूची, ‘डी’ मर्च सं० 8, कालम 2	वर्तमान विवरण को निम्नलिखित द्वारा बदला गया समझा जाए । गोल्ड रोज़ स्टील स्ट्रिप्स स्टेनलैस स्टील स्ट्रिप्स के प्रतिरिक्त जो उपर्युक्त क्रम सं० 1-7 में नहीं बताई गई है, उसका अधिकतम विस्तार 350 एम एम है ।

SUBJECT.—*Import Policy for the period April 1970—March, 1971.*

No. 137-ITC(PN)/70.—Attention of importers is invited to the import policy as contained in the Import Trade Control Policy (Red Book—Vol. I) for the period April 1970—March 1971.

3 As a result of the representations received, it has been decided to make the following amendment in the I.T.C. Policy (Red Book—Vol. I) for the period April 1970—March, 1971 :—

Page No. of the Red Book (Vol. I)	Reference	Details of amendments
393	Section IV, Appendix 36, Item (b)(4).	The existing entry may be deemed to have been substituted by the following :— “Bucky Table, hand or motor driven, except those having trendelenburg position of 45° or 90—90° and specialised tables for Urology Neurology, Angiography and Angio-Cardiography”.

R. J. REBELLO
Chief Controller of Imports & Exports.

विषय.—अप्रैल, 1970 मार्च, 1971 की अवधि के लिए आयात नीति ।

सं० 137-आई० टी० सी० (पी० एन०)/70.—अप्रैल, 1970-मार्च, 1971 की अवधि के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति (रेड बुक-वालुम 1) में निहित आयात नीति की ओर आयातकों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

अभिवेदनों से ज्ञान होने के संभवता, यह निश्चय किया गया है कि अप्रैल, 1970-मार्च, 1971 की अवधि के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति (रेड बुक-वालुम-1) में निम्नलिखित संशोधन किए जाएं :—

रेड बुक (वालुम-1) की पृष्ठ सं०	संदर्भ	संशोधनों का विवरण
393	खंड-4 परिशिष्ट 36, मद (बी) (4)	वर्तमान प्रविष्टि को निम्नलिखित द्वारा बदला गया है, समझा जाए :— “45° तथा 90—90° की ट्रेंडलेनबर्ग स्थिति वाली तथा डरलाज, रथोलाज एगियोप्राफी, तथा एगियो-काडियोप्राफी के लिए विशेषीकृत टेबुलों के अतिरिक्त मोटर अथवा हाथ से चलाई जाने वाली बुक्की टेबुलें ।

आर० जे० रबेलो,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

